भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1109

दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय पोषण मिशन

1109. श्री नीरज डांगी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार द्वारा देश में चलाए गए पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" बनाना था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के अभियान के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा इस अभियान को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए कौन-कौन से तंत्र काम कर रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत अब तक उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) : सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और पोषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं के समाधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। 15वें वित्त आयोग के तहत, आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 14-18 वर्ष) को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन 2.0) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। मिशन पोषण 2.0 में बेहतर पोषण तत्वों और प्रदायगी के माध्यम से कुपोषण की चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक जुटाव, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और एडवोकेसी के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण तथा प्रतिरक्षा के लिए कार्यनीतिक

बदलाव किया गया है। मिशन पोषण 2.0 में दुबलापन और अल्पवज़न की व्यापकता, ठिगनापन और एनीमिया को कम करने के लिए आयुष पद्धतियों के माध्यम से मातृ पोषण, नवजात शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) और कल्याण पर बल दिया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लाभार्थियों के टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं को सहयोग प्रदान करता है। 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के अभिसरण में मिशन पोषण 2.0 में कुपोषण से निपटने के लिए तथा स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों में सहयोग किया जाता है।

इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-।। में निहित अनुपूरक पोषण मानदंडों के अनुसार अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है। कुपोषण की चुनौतियों का अधिक प्रभावशाली तरीके से दूर करने के लिए इन पोषण मानदंडों को संशोधित किया गया है। पुराने पोषण मानदंड अधिकांशत: कैलोरी विशिष्ट थे। तथापि, संशोधित कुपोषण मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित अनुपूरक पोषण की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से अधिक व्यापक एवं संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तायुक्त प्रोटीन, स्वस्थ वसा एवं सूक्ष्म तत्वों का प्रावधान किया गया है।

सूक्ष्म पोषण की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं तथा बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तैयार करने और टेक होम राशन (टीएचआर-कच्चा राशन नहीं) के लिए बाजरा के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया ताकि बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को दूर किया जा सके और इससे संबंधित रूग्णता तथा मृत्युदर को कम किया जा सके।

मिशन पोषण 2.0 के तहत की गई प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक जुटाव और जागरुकता प्रचार है, जो पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन बनता जा रहा है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमश: सितम्बर और मार्च-अप्रैल में मनाए गए पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान सामुदायिक जुटाव कार्यक्रमों के अंतर्गत नियमित संवेदीकरण गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं और उसकी सूचना दे रहे हैं। सामुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण प्रथाओं के बदलाव में मुख्य कार्यनीति के रूप में योगदान दिया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रतिमाह समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार कुपोषण के संकेतकों जैसे अल्पवज़न, ठिगनापन अथवा दुबलापन वाले बच्चों में लगातार सुधार दिखाया गया है। एनएफएचएस-5 (2019-21) की रिपोर्ट के अनुसार, 5 वर्ष से कम

बच्चों के पोषण संकेतकों में एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में सुधार हुआ है। ठिगनापन 38.4% से घटकर 35.5% हो गया है जबकि दुबलापन 21.0% से घटकर 19.3% हो गया है और अल्पवज़न की व्यापकता 35.8% से घटकर 32.1% हो गई है।

जून, 2024 के पोषण ट्रैकर के आंकड़े के अनुसार, 6 वर्ष से कम के लगभग 8.57 करोड़ बच्चों को मापा गया जिनमें से 35% ठिगने पाए गए, 17% अल्पवज़न के पाए गए और 5 वर्ष से कम आयु के 6% बच्चे दुबले पाए गए। पोषण ट्रैकर आंकड़ों से प्राप्त बच्चों में अल्पवज़न और दुबलेपन का स्तर एनएफएचएस-5 में लगाए गए अनुमान से बहुत कम है।

(घ) : मिशन पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"राष्ट्रीय पोषण मिशन" के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1109 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के तहत जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35.71
आंध्र प्रदेश	2278.07
अरुणाचल प्रदेश	470.67
असम	5204.84
बिहार	5173.81
चंडीगढ़	68.22
छत्तीसगढ़	1855.15
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	27.10
दिल्ली	477.69
गोवा	39.49
गुजरात	2879.30
हरियाणा	594.07
हिमाचल प्रदेश	819.31
जम्मू और कश्मीर	1415.63
झारखंड	1448.19
कर्नाटक	2682.54
केरल	1139.85
लद्दाख	53.10
लक्षद्वीप	5.43
मध्य प्रदेश	3220.15
महाराष्ट्र	5059.08
मणिपुर	566.15
मेघालय	635.41

मिजोरम	202.39
नागालैंड	622.01
ओडिशा	2958.71
पुद्दुचेरी	7.37
पंजाब	766.70
राजस्थान	2748.63
सिक्किम	79.54
तमिलनाडु	2302.98
तेलंगाना	1540.88
त्रिपुरा	581.47
उत्तर प्रदेश	7798.11
उत्तराखंड	1067.74
पश्चिम बंगाल	3133.50

*****